

भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5150
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

लद्धाख में सौर ऊर्जा

5150. श्री राजा राम सिंह: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) लद्धाख में सौर ऊर्जा में निवेश करने वाली कंपनियों का व्यौरा क्या है;
- (ख) लद्धाख में वर्तमान में प्रस्तावित ऊर्जा संबंधी निवेशों का परियोजनावार व्यौरा क्या है;
- (ग) लद्धाख की संवेदनशील पारिस्थितिकी में निवेश के संबंध में स्थानीय समुदाय और पर्यावरणविदों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि निवेश पर्यावरणीय दृष्टि संधारणीय और समाज हितैषी हों?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी) लद्धाख संघ राज्य क्षेत्र के तारू, लेह में 40 मेगावाट घंटे के बैटरी भंडारण के साथ 25 मेगावाट एसी/50 मेगावाट डीसी क्षमता की ग्रिड कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना का ईपीसी अनुबंध मैसर्स प्रोजील ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया है।

लद्धाख संघ राज्य क्षेत्र के पांग, देंगिंग और खरनाक क्षेत्रों में कुल 13 गीगावाट क्षमता के हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा (आरई) पार्क की व्यवस्था है और इसमें सौर, पवन और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल हैं। अभी तक, उक्त अक्षय ऊर्जा पार्क में अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किसी भी कंपनी का चयन नहीं किया गया है।

मंत्रालय, लद्धाख में 20,773.70 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत और डीपीआर लागत या आवंटित लागत, जो भी कम हो, का 40% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 13 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए जीईसी-II में अंतर-राज्यीय (इंटर-स्टेट) पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

लद्धाख में 2.5 मेगावाट की जुन्कुल लघु जल विद्युत परियोजना और 0.80 मेगावाट की बोगडांग लघु जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन हैं।

(ग) और (घ): सौर फोटो-वोल्टेक विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के दायरे में नहीं आती है और इसके प्रावधानों के तहत ऐसी परियोजनाओं के लिए किसी पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, सौर फोटो-वोल्टेक मॉड्यूलों या पैनलों अथवा सेलों के उपयोग के बाद उत्पन्न ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रटूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित सामग्री की पुनर्प्राप्ति के लिए सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों या पैनलों अथवा सेलों का पुनर्चक्रण अनिवार्य है।

उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित परियोजनाएं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं से स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, छोटे स्तर के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ बेहतर बनने के माध्यम से लाभ मिलने की उम्मीद है। सड़क/पुल की अवसंरचना को मजबूत करने जैसे इंटरलिंकिंग कार्यों से भारी उपकरणों की आवाजाही में सुविधा होगी और स्थानीय निवासियों के लिए सड़क तक पहुँच में सुधार होगा। अनुकूलित बिजली आपूर्ति से ऊर्जा विश्वसनीयता में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास और स्थिरता में योगदान होगा। इसके अतिरिक्त, सेकी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ शुरू की हैं, जिसमें शिक्षा प्रणाली का डिजिटलीकरण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पर्यावरण स्थिरता और चिकित्सा सुविधाओं में सहायता करना शामिल है, जो सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक प्रदर्शित करता है।
